

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, परिसर, दुर्गापुर, जयपुर-302018 दूरभाष नं. 0141-2722520

क्रमांक: प.14(90)RSSB/अर्थना/CET/2022/ 875

दिनांक : 21.09.2022

विज्ञापनसं. 09/2022

समान पात्रता परीक्षा (Common Eligibility Test) (स्नातक स्तर) - 2022

बोर्ड द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम-2022 के अन्तर्गत निम्नलिखित सेवाओं हेतु समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) के लिए लिखित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किए जाते हैं:-

क्रम संख्या	सेवा का नाम	पद का नाम
1.	राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा	प्लाटून कमांडर
2.	राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ रिंगार्ड सेवा	1. जिनैदार 2. पटवारी
3.	राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा	कनिष्ठ लेखाकार
4.	राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा	तहसील राजस्व लेखाकार
5.	राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा	उपनिदेशक (महिला अधिकारिता)
6.	राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा	पर्यवेक्षक
7.	राजस्थान कन्नौज अधीनस्थ सेवा	उप-जेलर
8.	राजस्थान संगीत कल्याण अधीनस्थ सेवा	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II

समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) के संबंध में सामान्य दिशा निर्देश:-

- समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) मात्र एक पात्रता परीक्षा है। समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) में सम्मिलित पद पर भर्ती सुसंगत सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी। किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने तथा स्कोर अर्जित कर लेना मात्र ही उसे नौकरी की गारंटी नहीं देगा। अभ्यर्थियों को भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में आवश्यक रूप से उपस्थित होना होगा और उसे अर्जित करना होगा और सुसंगत सेवा नियमों में अधिकथित अन्य कसौटी भी पूर्ण करनी होगी। समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) में सम्मिलित सेवाओं के पदों पर भर्ती के लिये अलग से भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जायेगा, जिसमें अभ्यर्थियों का चयन श्रेणीवार रिक्त पदों के अनुसार वरियता के आधार पर किया जायेगा। मुख्य भर्ती परीक्षा का आयोजन एवं भर्ती का कार्यवाही उस सेवा के सेवा नियमों के अनुसार की जायेगी।
- समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी। समान पात्रता परीक्षा का रजिस्ट्रार परिणाम की दिनांक से एक वर्ष के लिये मान्य होगा।
- बोर्ड द्वारा उक्त समस्त अभ्यर्थियों के अंक, जो समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित हुये हैं, प्रकाशित किया जायेगा।
- समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के प्रयासों की संख्या के संबंध में कोई निर्बंध नहीं होगा; अभ्यर्थियों के पास समान पात्रता परीक्षा में अपना स्कोर सुधारने का अवसर होगा। किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) में सम्मिलित पदों के लिये आने वाली परीक्षा से पूर्व का सर्वोत्तम उपलब्ध स्कोर मान्य होगा।
- समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) में उल्लिखित अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती को शासित करने वाले किसी नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) में उल्लिखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने का पात्र नहीं होगा यदि वह सीईटी में इतने न्यूनतम अंक जो भर्ती एजेंसी द्वारा अधिारित किये जायें, प्राप्त करने में असफल रहता है। न्यूनतम अंक अधिारित करते समय, भर्ती एजेंसी यह विचार करेगी कि समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) में उल्लिखित पद पर विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या के चंद्रह गुना अभ्यर्थी, इस प्रकार विज्ञापित रिक्तियों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे किन्तु उक्त श्रृंखला में उक्त समस्त अभ्यर्थी को जो यही अंक अर्जित करते हैं जो भर्ती एजेंसी द्वारा किसी निम्नतर श्रृंखला के लिए नियत किये जायें, समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) में उल्लिखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में प्रवेश दिया जायेगा।

परन्तु यदि भर्ती एजेंसी की यह राय हो कि, समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) में उल्लिखित पद पर भर्ती के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने के साधारण मानक के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है तो, भर्ती एजेंसी द्वारा ऐसे आरक्षित प्रवर्ग वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के लिए शिथिल

मानक लागू किया जा रहेगा ताकि उस प्रवर्ग में के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने के लिए उपलब्ध हो। इस प्रयोजन के लिए, रिक्तियों की कुल अनुमानित संख्या के पंद्रह गुना की विचार की संख्या सीमा निर्धारित मानी जायेगी। तथापि, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने के लिए, इस प्रकार अतिरिक्त रूप से अर्हित अभ्यर्थी, केवल उनके प्रवर्गों के लिए आरक्षित वर्गों पर चयन के लिए पात्र होंगे।

6. समान पात्रता परीक्षा(स्नातक स्तर) में उल्लेखित किसी पद पर भर्ती के लिये, शैक्षणिक अर्हता, आयु, अनुभव आदि ऐसी होंगी जो उस पद पर भर्ती को शासित करने वाले सुसंगत सेवा नियमों में क्या विहित है।
7. समान पात्रता परीक्षा(स्नातक स्तर) में उल्लेखित होने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह समान पात्रता परीक्षा(स्नातक स्तर) में सम्मिलित किसी पद हेतु आयु, शैक्षणिक अर्हताओं आदि, यदि कोई हो, के संबंध में सही पूर्ण करता/करती है। समान पात्रता परीक्षा के लिये अनुज्ञात किया जाना अभ्यर्थी को पात्रता को उच्चारण मान्यता का पात्र नहीं बनायेगा।

1. ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया:-- बोर्ड द्वारा आवेदन Online Application Form लिखे जायेंगे जिसे राज्य के निर्धारित ई-गवर्न कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित राजस्थान अधीनस्थ एवं लिफ्टिफिकेड सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम 2022 का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेंगे। तदुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें।

1. ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को बोर्ड के ऑनलाईन पोर्टल <http://rsmssb.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ पोर्टल <http://sso.rajasthan.gov.in> से Login पर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम बार One Time Registration (OTR) करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकण्डरी/समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/आईडिंग लाईसेंस आई.डी. में से किसी एक आई.डी. प्रूफ के विवरणों का इन्ट्राज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे।
2. अभ्यर्थी द्वारा One Time Registration (OTR)करना के जनरेट होने के पश्चात् OTR Profile में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकण्डरी/समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/आईडिंग लाईसेंस आई.डी. विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा।
3. यदि अभ्यर्थी के आधार कार्ड में अथवा जन आधार कार्ड में उसके नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं लिंग में कोई त्रुटि है तो इन त्रुटियों को पहले से ही दुरुस्त करा लेना चाहिए।
4. यदि अभ्यर्थी अपना OTR रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड/जन आधार कार्ड के माध्यम से न करके SSO ID के माध्यम से करता है तो उसे सैकण्डरी की अंकतालिका व एक पहचान वस्तावेज अपलोड करने अनिवार्य होगा।
5. अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पश्चात् Recruitment Portal पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से परीक्षा शुल्क का भुगतान कर आवेदन पत्र क्रमांक (Application I.D) जनरेट करना होगा।
6. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें।
7. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transaction का लम्बित सत्यापन समय रहते हो सके अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
8. आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. दर्ज करें तथा इसे नहीं बदलें। सहत्वपूर्ण सूचनाएँ आवेदन में दर्ज मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर ही भेजी जाती है।
9. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक (Application I.D) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं माना जायेगा।
10. आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें। ई-गवर्न हेल्पलाईन नम्बर 0141-2221424 / 2221425 एवं ऑनलाईन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाईन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें।
11. आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑनलाईन आवेदन करें; गलत सूचना देना/तथ्य छुपाने पर बोर्ड अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।
12. Online Application Form में समस्त उल्लिखित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इत विज्ञापित को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इसमें दिये गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर उसी परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

19. समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) के संबंध में समस्त सूत्राचार बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से किया जायेगा। कृपया इस भर्ती परीक्षा के संबंध में समस्त अद्यतन जानकारी के लिये बोर्ड की वेबसाइट को निरंतर रूप से देखते रहें।

2. आवेदन एवं परीक्षा शुल्क:—आवेदक अपने श्रेणी के अनुसूचित निम्नानुसार शुल्क राज्य के निर्धारित ई-निव्व कियोस्क या जन सुविधा केंद्र (C.S.C.) के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाइन जमा करवावे।

- (क) सामान्य वर्ग व कीमतेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु --रुपये 450/--
 (ख) राजस्थान के नॉन कीमतेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक हेतु --रु 350/--
 (ग) समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु --रुपये 250/--
 (घ) कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक 4.8(3) कार्मिक/प-2/18 दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार को वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है, के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क रुपये 250/--देना है (कृपया इस संबंध में नीचे अंकित नोट संख्या 3 भी अवशक देखें)।

नोट--

- राजस्थान राज्य या भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।
- परीक्षा एक बार जमा होने पर वापिस नहीं लौटाई जायेगी।
- सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है तथा वे परीक्षा शुल्क रुपये 250/-- ही जमा कराते हैं, ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम होने का सक्षम प्राथिकी द्वारा जारी आर्थ प्रमाण-पत्र मुख्य परीक्षा के बाद की जाने वाली पात्रता की जांच एवं वस्तावेज के सत्यापन के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।

3. समान पात्रता परीक्षा (Common Eligibility Test) के अन्तर्गत संभावित रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है:—

क्रम संख्या	विभाग का नाम	पद का नाम	संभावित पदों की संख्या
1.	गृह रक्षा विभाग	प्लाटून कमांडर	43
2.	जल संसाधन विभाग	1. जिलेदार 2. पटवारी	- 272
3.	कोष एवं लेखा विभाग	जनित लेखाकार	1923
4.	राजस्व मण्डल	तहसील राजस्व लेखाकार	198
5.	महिला अधिकारिता	पर्यवेक्षक (महिला अधिकारिता)	176
6.	समिका बाल विकास सेवाएं	पर्यवेक्षक	-
7.	कारागार विभाग	उप-जेलर	49
8.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	आरक्षण अधीक्षक जेड-II	335

नोट--1. विभागावार एवं सेवावार रिक्त पदों की संख्या में मुख्य परीक्षा के समय कमी या बढोतरी की जा सकती है।

2. राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय (समान पात्रता परीक्षा) नियम, 2022 एवं समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) में शामिल पदों से संबंधित सेवा नियमों में किया गया कोई भी संशोधन को मान्य किया जायेगा।

4. समान पात्रता परीक्षा(स्नातक स्तर) के संबंध में विशेष निर्देश:--

- अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में अपनी श्रेणी एवं आरक्षित श्रेणी तथा सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं क्षात्रा जाति की सहरिया आदिम जाति का निर्धारित कॉलम में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। इसके आधार पर ही मुख्य परीक्षा में श्रेणी का निर्धारण किया जायेगा।
- इसी प्रकार अभ्यर्थी अपनी क्षैतिज श्रेणी तथा महिला, विधवा, परिस्थितता, विध्यांगजन (B/LV, H3, LD/CP, MI/MD) भूतपूर्व सैनिक एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी का भी ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित कॉलम में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। इसके आधार पर ही मुख्य परीक्षा में क्षैतिज श्रेणी का निर्धारण किया जायेगा।
- अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करें। अनुसूचित क्षेत्र के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे।
- भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में भर्ती संबंधी समस्त कार्यवाही राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आगमन) नियम-1988 यथा संशोधित के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। "भूतपूर्व सैनिक" के संदर्भ में व्यक्ति जो राज्य में बसे हुए है, से व्यक्ति जो राजस्थान का मूल निवासी है, अभिन्न है। राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग का लाभ दिया जायेगा।
- उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक H.S.(31)DOP/A-II/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार देय होगा।

6. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकांश नियम 2018 वया: संबंधित के अनुसार दिव्यांगजन की निम्नलिखित श्रेणियों को आरक्षण का लाभ देय होगा :-

- B/LV (Blindness/ Low vision)
- HI(Hearing Impairment)
- LD/CP(Locomotor Disability) Including Corebral palsy, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid attack victims & Muscular dystrophy
- Autism, Intellectual Disability, Specific Learning Disability & Mental illness.
- Multiple Disabilities from amongst persons under clauses (i) to(iv) including deaf- blindness in the posts indentified for each disabilities.

नोट:- परंतु संबंधित विभाग द्वारा पद विशेष के लिए उपरोक्त दिव्यांगजन श्रेणियों में से छूट/शिथिलता लेने पर उपयुक्त दिव्यांगजन श्रेणी को ही उस पद के लिए शोध करना लायेंगा।

5. पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता:-

क्र.स.	विभाग का नाम	पद का नाम	आयु सीमा	शैक्षणिक योग्यता
1.	महिला अधिकारिता	पर्यवेक्षक (महिला अधिकारिता)	18-40 वर्ष	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक।
2.	जल संसाधन विभाग	पटवारी	18-40 वर्ष	<p>आवेदन विधि द्वारा स्थापित विधि से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष अथवा परीक्षा उत्तीर्ण जिसे सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की हुई है</p> <p>और</p> <p>NIELIT, New Delhi द्वारा आयोजित "ओ" लेवल या उच्च स्तर सर्टिफिकेट कोर्स/ भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के निरंतरगामी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीडिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया (DOEACC) द्वारा आयोजित "ओ" लेवल या उच्च स्तर सर्टिफिकेट या</p> <p>व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना के राष्ट्रीय परिषद(नेशनल कौन्सिल) / राज्य परिषद(स्टेट कौन्सिल) के अधीन आयोजित Computer operator & Programming Assistant (COPA) / Data Preparation and computer software (DPCS)कोर्स का प्रमाण पत्र या</p> <p>भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय का सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन में डिप्लोमा/डिग्री</p> <p>या</p> <p>सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक पॉलिटेक्निक संस्थान से कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा</p> <p>या</p> <p>भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग एवं तकनीकी की किसी भी ब्रांच में डिग्री</p> <p>या</p> <p>राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के नियंत्रण में वर्धमान गहावीर खुजा विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा आयोजित राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी (RS-CIT)कोर्स का प्रमाण पत्र</p> <p>या</p> <p>देश में मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से उच्च माध्यमिक परीक्षा में एक विषय के रूप में कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन का उच्च माध्यमिक प्रमाण पत्र</p> <p>या</p> <p>सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी समकक्ष या उच्चतर योग्यता</p>
	जल संसाधन विभाग	जिलेदार	18-40 वर्ष	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक।
3.	गृह रक्षा विभाग	प्लान्ट कमान्डर	20-40 वर्ष	भारत में विधि द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समतुल्य अर्थात् या नौवय सुबेदार या उससे ऊपर की रैंक का समकक्ष रूप से नृतापूर्व सैनिक।

4.	राज्य एवं राज्य नगडल	राजकीय राजस्व लेखाकार	21-40 वर्ष	1. भारत में केन्द्रीय या राज्य विद्यालय-मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा निर्गमित विश्वविद्यालय से से किसी विश्वविद्यालय से या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में घोषित अन्य शैक्षणिक संस्था की डिग्री धारित करता हो या सरकार द्वारा, आयोग के परामर्श, मान्यता प्राप्त समतुल्य अर्हता रखता हो : या संगत तथा संकर्म लेखाकार संस्थान, कोलकाता की इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हुई चाहिए। या भारतीय चाटर्ड एकाउंटेंट संस्थान, नई दिल्ली की इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हुई होगी चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन डी.ओ.ई.ए.सी.सी. (एन.आई.ई.एल.आई.टी.) द्वारा संचालित "ओ" या उच्चतर लेवल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम : या व्यवसायिक प्रशिक्षण रक्षीम की राष्ट्रीय/राज्य परिषद के अधीन आयोजित कम्प्यूटर ऑपरेटर एम प्रोग्रामिंग सहायक (क.ऑ.प्रो.स.) / डाटा प्रोसेसिंग और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर (डा.प्रो.स.सो.) प्रमाणपत्र। या भारत में विश्वि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान / कम्प्यूटर एप्लीकेशन / सूचना प्रौद्योगिकी में डिग्री डिप्लोमा। या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स / सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा : या राजस्थान नॉलेज कर्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन वर्तमान नहादौर खुला विश्वविद्यालय द्वारा संचालित राजस्थान राज्य सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सा.स.सू.प्रौ.प्र.प्रा.)
5.	कोट एवं लेखा विभाग	कनिष्ठ लेखाकार		भारत में विश्वि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक ।
6.	करागार विभाग	उप-जेलर	18-40 वर्ष	भारत में विश्वि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक ।
7.	समेकित ग्राम विकास सेवाएं	पर्यवेक्षक	18-40 वर्ष	भारत में विश्वि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक ।
8.	सांख्यिक न्याय एवं अधिकांशिता	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-आ	21-40 वर्ष	भारत में विश्वि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक ।

जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा हो, जो इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है या सेवा की भाँति के लिए उका पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा लेकिन वह/उसे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा—

1. मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले, जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के दो चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है,
2. साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है
3. लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है, जैसा भी नामला हो।

सम्बन्धित परीक्षा हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने चाहते हैं या सम्मिलित हो रहे हैं अपेक्षा आवेदन कर सकते हैं परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता मुख्य परीक्षा तिथि से पूर्व अधिष्ठित करने अनिवार्य होगी। अन्ततः परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अधिष्ठित करने वाले अभ्यर्थियों को सम्बन्धित परीक्षा (स्नातक स्तर) में शामिल नहीं होने की भाँति आधुनिक भाँति में पात्र नहीं माना जावेगा।

6. आयु:—सम्बन्धित परीक्षा (स्नातक स्तर) में शामिल पदों की भाँति के लिये आयु सीमा संबंधित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित अनुसार होगी। संबंधित पद के सेवा नियमों में वर्णित आयु सीमा, बिन्दु संख्या 5 मात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता के कौलम संख्या 03 में दर्शाये अनुसार होगी।

नोट:—राज्य सरकार द्वारा राजकीय सेवाओं में कोरोना के कारण अधिकतम आयु सीमा में दो साल की वृद्धि किये जाने की अधिसूचना प्रकाशित है। यह अधिसूचना जारी होने पर राज्य सरकार के आदेशों के अनुरूप अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट देय होगी। इस संबंध में अधिसूचना जारी होने के पश्चात् अलग से भी संशोधन जारी कर दिया जावेगा।

उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार देय होगी:-

- अधिकतम आयु सीमा में -
 - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मुख्य अभ्यर्थियों को, जो राजस्थान के भूज निवासी हैं, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
 - सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
 - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की मूल निवासी हैं, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- अधिकतम आयु सीमा उत्त भूतपूर्व कैंडी के मामले में लागू नहीं होगी जिसने सजा मिलने से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर तत्समार्थ आधार (Substantive) पर सेवा की हो और जो सजा बचने से पूर्व नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।
- अधिकतम आयु की सीमा में किसी ऐसे भूतपूर्व कैंडी के मामले में उसके द्वारा भोगी गई सजा की अवधि के बराबर काल तक की डील दी जायेगी, जो कि सजा मिलने से पहले अधिक आयु का नहीं हुआ था और नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए योग्य था।
- एन.सी.सी. कैडेट प्रशिक्षकों (Cadet Instructors) को उनकी वास्तविक आयु में से उतना समय घटाने की अनुमति दी जायेगी जितना समय उन्होंने एन.सी.सी. की सेवा में बिताया है यदि उसके परिणाम स्वरूप उनकी आयु उपर्युक्त निर्धारित अधिकतम आवधि 3 वर्ष से ज्यादा नहीं हुई हो।
- राज्य सेवा में एक पद के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त किए गए व्यक्तियों को आयु सीमा के भीतर माना जाएगा यदि वे आयु सीमा के भीतर थे, जब वे शुरू में नियुक्त किए गये थे, गले ही वे आयु सीमा पार कर चुके हों जब वे चयन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हों, और दो अवसरों तक की अनुमति दी जायेगी, जैसे वे अपनी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय पात्र थे।
- सेवा में मुक्त होने के बाद जारी किए गए आपातकालीन कमीशन अधिकारों और शॉर्ट सर्विस कमीशन के अधिकारियों के व्यक्तियों के मामलों में निर्धारित आयु सीमा में माना जायेगा बले ही वे निर्धारित आयु सीमा को प्राप्त कर चुके हों जब वे चयन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हों।
- 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से वापस भारत आये व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
- रिजर्विस्टों अर्थात् रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कार्मिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी परन्तु कप्तान/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धरकों की दृष्टि में उच्च आयु सीमा 02 वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिये आयु में शिथिलता के प्रावधान कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(18) आर्थिक/क-2/84 मार्च/11 दिनांक 17.4.2018 एवं दिनांक 22.12.2020 के अनुसार भी लागू होंगे।
- विधवाओं और विच्छिन्न विवाह महिलाओं के मामलों में कोई आयु सीमा नहीं होगी किन्तु राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम होनी चाहिये।
- राज्य सरकार, पंचायत समिति तथा जिला परिषदों और राज्य पुलिसिक सेक्टर लष्कर/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में अधिष्ठायी हैसियत से सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
- राज्यस्तर दिव्यांगजन अधिकार (संसोधित) नियम-2021, के नियम 6(A) में विष्टि एवं प्रावधान के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में दिव्यांगजनों को 05 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। विच्छिन्न श्रेणियों के दिव्यांगजनों को आयु सीमा में छूट सेवा नियमों में निर्धारित आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

स्पष्टीकरण :- विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विवाहविच्छिन्नमहिला के मामले में उसे विवाहविच्छिन्न (डिवॉर्स) का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

नोट:-

(क) उपरोक्त बिन्दु 6 की क्र.सं. 1 से 11 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त क्र.सं. 1 से 11 में वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

7. आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधि:-

(क) परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क, जन सुविधा केंद्र (C.S.C.), नेट बैंकिंग, ए.टी.एम. का डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 22.09.2022 से दिनांक 21.10.2022 को रात्रि 23.59 बजे तक जमा कराया जा सकता है।

(ख) ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 22.09.2022 से दिनांक 21.10.2022 को रात्रि 23.59 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट पर नरे जा सकते हैं (इसके उपरोक्त दिनांक निश्चित हो जायेगा)। आवेदकों को सहाय दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन को अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन कर।

8. परीक्षा आयोजन:- समान पाठ्य परीक्षा (स्नातक स्तर) की परीक्षा बोर्ड द्वारा दिनांक 06.01.2023 से दिनांक 09.01.2023 के मध्य आवंटित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराई जायेगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट एवं प्रेर विज्ञापित के माध्यम से अलग से दे दी जायेगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। यदि परीक्षा एक से अधिक वर्षों में आयोजित की जाती है तो समानीकरण (Normalization) की कार्यवाही की जायेगी।

9. **प्रवेश पत्र**—बोर्ड द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाईट के माध्यम से ही ऑनलाईन प्रवेश-पत्र जारी किये जाएंगे। बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। बोर्ड की वेबसाईट पर प्रवेश-पत्र जारी किये जाने की सूचना समाचार पत्रों एवं देबराईट के माध्यम से जारी की जाएगी। आवेदक अपना प्रवेश-पत्र वेबसाईट से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र क्रमांक एवं जन सुविधा (C.S.C.) पर फीस जमा करने का टोकन नम्बर ध्यान में रखें। उपरोक्त संतानों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश पत्र सम्बन्धी सूचना आवेदक के ई-मेल आईडी (E-mail ID) एवं मोबाइल नम्बर पर भेजी जा सकती है।

10. नियुक्ति की अयोग्यताएँ :-

(1) किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो घोषित किए जाने या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जाएगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।

(2) किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जाएगा। किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।

(3) कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दंडित स्वीकार किया हो।

(4) ऐसा कोई भी अभ्यास, जिसके 1-6-2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरहित नहीं समझा जाएगा जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं होती,

परन्तु यह और कि जहां किसी आवेदक के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्पती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार देा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जाएगा।

परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतानों को जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निराकृत हो, गणना नहीं की जाएगी।

(5) कोई भी तम्बीदवार जिसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सन्तुष्टिकारिता (अपने आप को अन्य व्यक्ति होना बताना) करने, या कॉट-छॉट किए हुए जाली दस्तावेज पेश करने या गलत पददान देने या गहत्वपूर्ण सूचना छिपाने या परीक्षा में अनुचित तरीके काम में लगे या लेने का प्रयत्न करने, या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कोई अन्य अनिर्दिष्ट या अनुचित तरीके अपनाने का दोषी घोषित किया हो, वह अपने आप को फौजदारी मुकदमों का उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए स्थगित रूप से या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अथवा अधिक के लिए गतिधकृत (Debarred) कर दिया जाएगा।

11. ऑनलाईन आवेदन के विशेष निर्देश:-

1. ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता को सभरता शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है। सभरत प्रविष्टियां पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुये परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। इसकी सभरत जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

2. बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की फंक्ता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अयोग्य पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा जिसकी सभरत जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाईन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में संशोधन की अवधि समाप्त होने के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

3. आवेदक जिसके ऑनलाईन आवेदन पत्र अन्तिम तिथि तक बोर्ड कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होगी, ऐसे आवेदकों को बोर्ड द्वारा अन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश-पत्र जारी करने का यह आश्वासन नहीं है कि बोर्ड द्वारा उसकी तम्बीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा तम्बीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में की गई प्रविष्टियां बोर्ड द्वारा सही मान ली गई है। बोर्ड द्वारा आवेदकों की पात्रता की जांच मुख्य परीक्षा के बाद अलग से की जायेगी।

4. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश

फोटो अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-

- फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
- आवेदक को न्यूनतम रंगीन फोटो (अधिकतम छ: वाइड गुना) अपलोड करनी चाहिए। मोबाईल व अन्य स्वयं रखित फोटो का उपयोग नहीं करें।
- फोटो को प्रकृति (Background) सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए।
- फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50 प्रतिशत जगह घेरना चाहिए।
- फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
- यदि आप चश्मा पहनते हैं, तो फोटो खिंचाते समय चश्मा पहन सकते हैं लेकिन चश्मे पर चमक (Flash) नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक को फोटो में काला का धूप का धरमा नहीं होना चाहिए।
- फोटो जेपीईजी (JPEG) प्रारूप में होना चाहिए एवं इसकी साइज 3.5 cm x 4.5 cm होनी चाहिए।

- फोटो जेपीईजी (JPEG) के पिक्सेल न्यूनतम 240 × 320 एवं अधिकतम 480 × 640 (0.3 मेगापिक्सेल) होना चाहिए।
- फाईल का आकार 50 कैं.बी. से 100 कैं.बी. तक होना चाहिए।
- स्कैन की गई फोटो का आकार 100 कैं.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
- परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर लगी फोटो आवेदक से नैल खानी चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य किया जा सकता है।

5. हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-

- आवेदक एक सफेद कागज (A4 size) पर 7 सेमी चौड़ाई एवं 2 सेमी ऊँचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें।
- हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा।
- अध्यक्षकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमज को स्कैन करवाकर अपताकार बॉक्स एक ऑफ ऑफ करने के पश्चात् अपलोड करें।
- परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर किये गये आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।
- केवल जेपीईजी (JPEG) प्रारूप को स्वीकार किया जाएगा।
- जेपीईजी (JPEG) के लिए न्यूनतम पिक्सेल 280 × 80 से अधिकतम पिक्सेल 560 × 160 होना चाहिए।
- फाईल का आकार 20 कैं.बी. से 50 कैं.बी. तक होना चाहिए।
- हस्ताक्षर का आकार 50 कैं.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
- मेकअप फोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- 12. श्रुत लेखन की सुविधा:**—सामान्यतया सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न-उत्तर स्वरूप अपने हाथ से लिखने होंगे, केवल शरीरधन दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 में वर्णित ऐसे विशेष योग्यजन (Blind) सूर्यमुखी एवं अल्प दृष्टि न्यूनतम 40 प्रतिशत दृष्टिनिश्चकर्ता) या शारीरिक रूप से निश्चला (जो बांह कटे होने या पंगुत्व नहीं होने के कारण लिखने में असमर्थ है, जो परीक्षा में श्रुतलेखक उपलब्ध कराये जायेंगे, परन्तु अज्ञानक दुरुदस्तावेज लेखन कार्य ही अस्थाई रूप से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को यह सुविधा देय नहीं होगी। श्रुतलेखक उपलब्ध कराने हेतु ऐसे परीक्षार्थी प्रवेश पत्र प्राप्त होते ही वांछित शिक्षता प्रमाण पत्र सहित बोर्ड को सूचित करें एवं परीक्षा प्रारम्भ होने के कन से कम तीन दिन पूर्व अंकित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर वांछित शिक्षता प्रमाण पत्र सहित श्रुतलेखक की व्यवस्था हेतु अनुरोध करें और प्रमाण पत्र की रूप प्रमाणित एक प्रतिकेन्द्राधीक्षक को भी भेज जायेंगी।

13. ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया:—बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाईन

प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में OTR Profile में दर्शाये गये स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन निम्नानुसार कर सकता है:-

- यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 07 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300/- रुपये देकर ऑनलाईन आवेदन में संशोधन कर सकता है। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, माता के नाम एवं पद नाम, जन्म तिथि, लिंग के अलावा अन्य प्रविष्टियों में संशोधन किया जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने एवं संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा कराने की प्रक्रिया ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान ही होगी।
- यदि किसी अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि रह जाती है तथा वह किसी कारणवश आवेदन करने की अंतिम दिनांक के पश्चात् 7 दिवस के भीतर अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन नहीं कर पाता है तो उसे अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने का एक और अंतिम अवसर परीक्षा आयोजन के पश्चात् ऑनलाईन त्रुटि संशोधन हेतु एक निश्चित समय दिया जायेगा जिसमें अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन की त्रुटि को ऑनलाईन संशोधन कर सकेगा। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु दिनांक एवं समय की सूचना पृथक से बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से दी जायेगी। उक्त निर्धारित समय में अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित संशोधन शुल्क 300/- रुपये ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान भुगतान कर संशोधन कर सकेगा। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी केवल श्रेणी, क्षेत्रीय श्रेणी, विशेष श्रेणी, एए श्रेणी, वैवाहिक स्थिति यथा विधवा, विरसला इत्यादि में संशोधन कर सकेगा।
- अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में अपने स्वयं के नाम, माता-पिता के नाम, शैक्षणिक योग्यता, फोटो एवं अपने हस्ताक्षर में संशोधन नहीं कर सकेगा। आवेदक को अपने नाम, माता-पिता के नाम, पते, शैक्षणिक योग्यता, फोटो एवं हस्ताक्षर से संबंधित त्रुटियों में संशोधन के लिये (जान होने की स्थिति में) पत्रदा की जाय एवं दरतावेजों के सत्यापन के समय पदान्तर साध्य प्रस्तुत करने पर अवसर दिया जायेगा।
- इसके पश्चात् ऑनलाईन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा ऐसे किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा।

14. आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम:—

उम्मीदवारों को अपने ऑनलाईन आवेदन में सगल सूचना सही-सही अंकित करनी चाहिए और परीक्षार्थियों को केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना चाहिए, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने-एव परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी को विरसला बोर्ड/केन्द्राधीक्षक को भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापक) अधिनियम 2022 के अन्तर्गत एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting unfair means during the course of examination" तथा "The Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations, 2016" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ निर्धारित धुस एवं कार्यों की विरसल सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई है।

15. समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम:-

परीक्षा की स्कीम

विषय विवरण	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	समय
भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, कम्प्यूटर का ज्ञान, सामरसायनिक घटनाएं	150	300	03:00 HR

- नोट- 1. सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे तथा सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे।
2. इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन (Negative Marking) नहीं किया जायेगा।

पाठ्यक्रम विवरण

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास :

- भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन
- भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन- विभिन्न अवस्थाएं, इनमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के योगदानकर्ता एवं उनका योगदान
- 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति व किसान आन्दोलन, राजनीतिक जनजागरण एवं प्रजामण्डल आंदोलन
- स्वातंत्र्योत्तर राष्ट्र निर्माण- राष्ट्रीय एकीकरण एवं राज्यों का पुनर्गठन, वैदिक युग में सांस्थानिक निर्माण, विज्ञान एवं तकनीकी का विकास।

राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत :

- प्राचीन-सभ्यताएं- कालीबंगा, आहड़, मणेश्वर, बालाथल और वैराट
- राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था, सामाजिक-सांस्कृतिक आश्रम
- स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं - किले एवं स्मारक, कलाएं, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प
- राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां
- मेले, त्योहार, लोक संगीत एवं लोक नृत्य
- राजस्थानी संस्कृति, परम्परा: एवं विरासत
- राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता
- महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल
- राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व
- राजस्थान का एकीकरण।

भारत का भूगोल :

- भौतिक स्वरूप- पर्वत, पठार, मकरस्थल एवं मैदान
- जलवायु एवं मानसून तंत्र
- प्रमुख नदियाँ, बांध, झीलें एवं सागर
- कृषि जीव जन्तु एवं अभयारण्य
- प्रमुख फसलें- गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, धातु एवं कॉफी
- प्रमुख खानेज- लौह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट एवं अभ्रक
- ऊर्जा संसाधन- परम्परागत एवं गैर-परम्परागत
- प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक प्रदेश
- राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन के साधन एवं व्यापार

राजस्थान का भूगोल :

- भूगर्भिक संरचना एवं भू-अकृतिक प्रदेश
- जलवायु दशाएं, मानसून तंत्र एवं जलवायु प्रदेश
- अपवाह तंत्र, झीलें, चागर, बांध एवं जल संरक्षण तकनीकें
- प्राकृतिक वनस्पति
- वन्य जीव-जंतु एवं अणुयारण्य
- गृदाएं
- रबी एवं खरीफ की प्रमुख फसलें
- जनसंख्या- वृद्धि, भनत्व, साक्षरता, एवं लिंगानुपात
- प्रमुख जनजातियाँ
- धार्मिक एवं अधार्मिक खनिज पदार्थ
- ऊर्जा संसाधन- परम्परागत एवं गैर-परम्परागत
- पर्यटन स्थल
- यातायात के साधन- राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल एवं वायुयान

राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था :

- भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना (उद्देशिका), मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त, मौलिक कर्तव्य, संघीय ढांचा, संवैधानिक संशोधन, आपातकालीन प्रावधान, जनहित याचिका।
- संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं
- राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्, संसद, उच्चतम न्यायालय
- संघीय एवं राज्य कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवधिकार आयोग, स्थानीय स्वायत्त शासन एवं पंचायती राज।
- राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, शास्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवधिकार आयोग, लोकसंयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग।

भारत की अर्थव्यवस्था :

- बजट निर्माण, बैंकिंग, लोक-वित्त, ऋतु एवं सेवा कर, राष्ट्रीय आय, संवृद्धि एवं विकास का आधारभूत ज्ञान
- राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियाँ
- सखिडी, लोक वितरण प्रणाली
- ई-कॉमर्स
- अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र : कृषि, उद्योग, सेवा एवं व्यापार क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति, मुद्दे एवं पहल।
- हरित क्रान्ति, श्वेत क्रान्ति एवं नीली क्रान्ति।
- पंचवर्षीय योजनाएं एवं नियोजन प्रणाली।
- प्रमुख आर्थिक समस्याएं एवं सरकार की पहल, आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण।

राजस्थान की अर्थव्यवस्था :

- राजस्थान की खाद्य व व्यावसायिक फसलें, कृषि आधारित उद्योग
- बृहद सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनायें, बंजड़ भूमि व सूखे क्षेत्र विकास परियोजनायें, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना
- उद्योगों का विकास व उनका स्थान, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लघु, कुटीर एवं मामूली उद्योग, निर्यात सान्नी, राजस्थानी हस्तकला
- ग्रोडी एवं हेरोजगारी-अवधारणा, प्रकार, कारण, निदान एवं वर्तमान फ्लेगशिप योजनाएं, सार्वजनिक न्याय एवं अधिकारिता कमजोर दर्जे के लिए प्रायश्चान।
- विभिन्न कल्याणकारी योजनायें, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNSRGA), विकास संस्थायें, सहकारी आन्दोलन, लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थायें, संविधान के 73 वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी :

- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
- रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह
- विद्युत धारा, ऊष्मा, कार्य एवं ऊर्जा
- आहार एवं पोषण, रक्त समूह एवं RH कारक
- स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक, अक्रामक एवं पशुजन्य रोग
- पर्यावरणीय एवं परिसिद्ध्यतिक्रम्य परिवर्तन एवं इनके प्रभाव
- जल-वैविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं साधरणीय विकास
- जन्तुओं एवं पादपों का आर्थिक महत्व
- कृषि-विज्ञान, उद्योग-विज्ञान, वनिकी एवं पशुपालन राजस्थान के विशेष संदर्भ में
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में
- भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन
- अम्ल, क्षार एवं लवण, क्लोरीन, नाइट्रोजन, खाने का सोडा, फ्लोस्ट्रॉन ऑफ़ पेरिस, साबुन एवं अपमार्जक

तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता :

- Making series/analogy.
- Figure matrix questions, Classification.
- Alphabet test.
- Passage and conclusions.
- Blood relations.
- Coding-decoding.
- Direction sense test.
- Sitting arrangement.
- Input output.
- Number Ranking and Time Square.
- Making judgments.
- Logical arrangement of words.
- Inserting the missing character/number.
- Mathematical operations, average, ratio.
- Area of Triangle, circle, Ellipse, Trapezium, rectangle, sphere, cylinder.
- Percentage.
- Simple and compound interest.
- Unitary Method.
- Profit & Loss.
- Average
- Ratio & Proportion.
- Volume of sphere, cylinder, cube, cone.

Language Knowledge :

सामान्य हिन्दी

- संज्ञि और संवि विच्छेद
- संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रियाविशेषण, कारक, अधय
- समास, भेद, सामासिक ढ्ढों की रचना व विग्रह
- उपसर्ग एवं प्रत्यय
- विलोम शब्द, पर्यायवाची एवं अनेकार्थक शब्द

- विराम चिह्न
- ध्वनि एवं उसका वर्गीकरण
- फारिभाषिक शब्दावली (अंग्रेजी भाषा के फारिभाषिक शब्दों के सनासार्थक शब्द)
- शब्द शुद्धि (अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण)
- वाक्य शुद्धि (अशुद्ध वाक्यांश का शुद्धिकरण)
- मुहावरे एवं लोकोक्तिर्ण
- राजभाषा हिन्दी -- संवैधानिक स्थिति
- भ्रत्र एवं उसके प्रकार -- कार्यालयी पत्र के प्रारूप के विशेष सन्धर्म मे :

Language Knowledge :

General English

- Use of Articles and Determiners
- Tense/sequence of Tenses
- Voice : Active and Passive
- Narration : Direct and Indirect
- Use of Prepositions
- Translation of Ordinary/Common English sentences into Hindi and vice-versa
- Synonyms and Antonyms
- Comprehension of a given passage
- Glossary of official, Technical terms (with their Hindi version)
- Letter writing : Official, Demi-official, Circulars and Notices.
Note.: Questions on letter writing will also be objective regarding the structure of a letter.
- Idioms and Phrases
- One Word Substitution

कम्प्यूटर का ज्ञान :-

- Characteristics of Computers
- Computer Organization including RAM, ROM, File System, Input Devices, Computer Software- Relationship between Hardware & Software.
- Operating System
- MS-Office (Exposure of word, Excel/Spread Sheet, Power Point)

समसामयिक घटनाएं

1. राजस्थान, भारतीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं एवं मुद्दे
2. वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान एवं संस्थाएं
3. खेल एवं खेलकूद संबंधी गतिविधियां

16. बोर्ड की वेबसाइट:-सम्बन्धी बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से समस्त सूचना एवं जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्वादीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में स्थित स्वयंसेवा कक्षा पर उचितरूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141-2722620 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त मन-व्यवहार संबंधी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुरा, जयपुर-302018 को सम्बोधित किया जायेगा।

(Handwritten Signature)

(हरि प्रसाद शर्मा)
अध्यक्ष